


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)  
// आदेश //

क्रमांक / 2865 / न्या.लि. / कोरोना / 2020

रायगढ़, दिनांक 22/03/2020

माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक "जनता कर्फ्यू" का पालन किया जा रहा है परंतु "जनता कर्फ्यू" समाप्ति पश्चात यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि जिले के नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में लोग अधिक संख्या में अति उत्साहित होकर घर से बाहर न निकलें, न ही सामूहिक रूप से एकत्रित हों, अन्यथा लोगों के द्वारा जिस प्रयोजन के लिए "जनता कर्फ्यू" के समर्थन में महत्वपूर्ण समय दिया गया, उस प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो पायेगी।


अतः रायगढ़ जिले में "जनता कर्फ्यू" (दिनांक 22.03.2020 को रात्रि 09:00 बजे) के पश्चात् लोग घरों से बाहर न आयें, इस हेतु सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में मुनादी/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवश्यक प्रचार-प्रसार/सूचना प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

  
कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 22/03/2020

पृ. क्रमांक / 2865 / न्या.लि. / कोरोना / 2020  
प्रतिलिपि : -

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़।
4. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला रायगढ़।
5. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, जिला रायगढ़।  
— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला कार्यालय रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

  
कलेक्टर  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
रायगढ़ (छ.ग.)